छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 150/2006</u>

श्री राकेश कुमार शुक्ला,
जिला प्रतिनिधि ''हाईवे चेनल'',
उपभोक्ता डिपो के सामने,
कंकालिनपारा, कांकेर,
जिला–उत्तरबस्तर कांकेर .... अपीलार्थी
(छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
उप पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ,
जिला– उत्तरबस्तर कांकेर .... प्रतिअपीलार्थी
(छत्तीसगढ़)

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 03 अक्टूबर 2006)

श्री राकेश कुमार शुक्ला निवासी–कांकेर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी, पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के आदेश दिनांक 21–03–2006 से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उत्तरबस्तर, कांकेर को दिनांक 28–12–2005 को आवेदन–पत्र देकर 5 बिन्दुओं पर जानकारी चाही, जिसमें समस्त कांकेर जिले के लेम्स तथा सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2001–2002 वर्ष 2002–2003 वर्ष 2003–2004 वर्ष 2004–2005 में समस्त धान खरीदी का लेखा–जोखा, कितने चेक जारी किये गये चेक नंबर सहित, तथा धान को किन–किन राईस मिलों में कितनी–कितनी मात्रा में प्रदाय किया गया आदि जानकारी चाही। अपीलार्थी के द्वारा आडिट रिपोर्ट लेम्सवार चाही गई। अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, कांकेर के द्वारा दिनांक 14–12–2005 को सूचित किया गया कि जानकारी 91,976 पृष्ठों में है, अतः प्रति पृष्ठ 2/– रूपए के हिसाब से 1,83,952/– रूपए जमा किया जावे। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 15–12–2005 को जन सूचना अधिकारी को सूचित किया गया कि वह गरीबी रेखा के नीचे के परिवार का सदस्य है, अतः उसे जानकारी निःशुल्क दी जावे। चूँकि जन सूचना अधिकारी ने यह पाया कि

अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत बी.पी.एल. कार्ड की छायाप्रति श्री राजेश शुक्ला अपीलार्थी के बड़े भाई के नाम से है तथा उन्होंने बी.पी.एल. की लिस्ट से अपना नाम कटा लिया है, अतः अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी नहीं दी जा सकती। अपीलार्थी ने इसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी, पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर को अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील खारिज़ की, जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 19–06–2006 को आवेदक को जानकारी निर्धारित अवधि में नहीं प्रदान करने के फलस्वरुप जन सूचना अधिकारी को विलंब हेतु 25,000/–रूपए का कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने का आदेश जारी किया गया। दिनांक 25–07–2006 को अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसका नाम गरीबी रेखा के नीचे की सूची में होने से उसे निःशुल्क जानकारी प्राप्त होना चाहिए। प्रतिअपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि अपीलार्थी ने बहुत ही विस्तृत जानकारी संपूर्ण जिले की सहकारी संस्थाओं एवं लेम्स से संबंधित जानकारी चाही है। इस जानकारी को एकत्रित करने में काफी व्यय हुआ है। अतः अपीलार्थी से केवल अभिलेखों की छायाप्रति के लिए ही राशि की मांग की गई थी। अपीलार्थी ने बतलाया कि उसे धान खरीदी से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति अब नहीं चाहिए, केवल लेम्पवाइज़ खरीदी की जानकारी का पत्रक तथा आडिट नोट की प्रतिलिपि उसे प्रदान कर दी जावे। इस हेतु उसने आयोग के समक्ष यह भी बताया कि वह इसके लिए आवश्यक राशि जमा कर देगा।

4/ प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा काफी विस्तृत जानकारी मांगी गई थी और अब अपीलार्थी केवल लेम्पवाइज खरीदी की जानकारी का पत्रक तथा आडिट रिपोर्ट तथा लेम्पवाइज खरीदी का प्रपत्र चाहता है। चूंकि अपीलार्थी अब गरीबी रेखा के नीचे की सूची में नही है तथा अपीलार्थी स्वयं मांगी गई जानकारी की राशि देने को तत्पर है। अतः आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को लेम्पवाइज आडिट रिपोर्ट एवं लेम्पवाइज खरीदी का पत्रक नियमानुसार आवश्यक अभिलेख शुल्क लेकर अभिलेख शुल्क जमा करने के दिनांक से 15 दिन के अंदर जानकारी प्रदान की जावे।

5/ प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं होता है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबुझकर अथवा द्वेषवश अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में जानकारी नही दी गई। अतः अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य नहीं है। जन सूचना अधिकारी को 25 हजार रूपए की शास्ति का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

6/ अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त